

शपथ पत्र

मैं..... पुत्र..... आयु..... निवासी.....

..... शपथपूर्वक वचन करता हूँ कि :-

1. यह कि विवाह समारोह स्थल..... पता
.....का मैं वैध स्वामी अथवा संचालक हूँ।
2. यह कि नगर निगम अजमेर द्वारा 'विवाह समारोह स्थल उपविधियां 2010' एवं राज्य सरकार द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों के अनुसार विवाह स्थालो के लिए प्रचलित नियमों के उल्लंघन में संचालित विवाह समारोह स्थलो को सीज किया जा रहा है अथवा सीज किया गया है।
3. यह कि नगर निगम अजमेर द्वारा दिनांक 30.05.2017 को विशेष साधारण सभा में संशोधित उपविधियां उक्त क्रम में राज्य सरकार की स्वीकृति के अधीन पारित करने का निर्णय लिया गया है।
4. यह कि उपरोक्त क्रम में मेरा निवेदन है कि मेरे विवाह समारोह स्थल को संशोधित उपविधियां राज्य सरकार की स्वीकृति उपरान्त प्रभावी होने तक सीज नहीं किया जावे अथवा दिनांक..... को सीज किया गया है, उसे सीज मुक्त किया जावे।
5. यह कि मैं पैरा 4 के क्रम में मेरे विवाह समारोह स्थल को सीजमुक्त रखे जाने/सीज खोलने की दशा में, संशोधित उपविधियां प्रभाव में आने तक वर्तमान में प्रभावी विवाह समारोह स्थल पंजीयन उपविधियां 2010 की धारा(2) की उपधारा (6) में वर्णित कार्यों के लिए उक्त स्थल का उपयोग नहीं करूँगा।
6. यह कि संशोधित उपविधियां राज्य सरकार की स्वीकृति उपरान्त प्रभावी होने पर मैं उक्त स्थल के नियमानुसार पंजीयन व अनुज्ञा के लिए वचनबद्ध रहूँगा तथा संशोधित उपविधियों एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों की पूर्ण पालना करूँगा।
7. यह कि मुझ शपथ कर्ता द्वारा उक्त शपथ पत्र के उल्लंघन मैं कोई कृत्य किये जाने कि दशा में नगर निगम अजमेर मेरे उक्त विवाह समारोह स्थल को सीज करने के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा साथ ही निगम उक्त सम्पत्ति के संबंध में अटैच करने की कार्यवाही हेतु भी स्वतंत्र होगा।

दिनांक :-

शपथ कर्ता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथकर्ता यह कथन करता है कि पैरा संख्या 1 लगायत 7 मेरी निजी जानकारी में सही व सत्य है। यह शपथ पत्र मैं विवाह समारोह स्थल.....
को सीजमुक्त/सीज नहीं करने हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ।

दिनांक :-

शपथ कर्ता

स्थान :-